



2026:AHC:171164

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27212/2026

सन्नी

..आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : आकाश सिंह चौहान, नरेंद्र मोहन, प्रशांत कुमार सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हैं, लेकिन उनका नाम मुकदमे की सूची में नहीं दिखाया जा सका।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री आर.एन. श्रीवास्तव को सुना।
3. यह आवेदन विचारण न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत, मामला अपराध संख्या 19/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था तथा उसकी संलिप्तता का खुलासा जांच के दौरान नामित सह-आरोपी दीपू उर्फ दीपक के बयान के माध्यम से हुआ।
5. उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी के बयान और जांच अधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष के अनुसार दर्ज किए गए आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा सीसीटीवी फुटेज से यह पता चलता है कि घटना वाले दिन चार लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से आवेदक की पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी।
6. उन्होंने आगे कहा कि एक विस्तृत आदेश के बावजूद, सह-आरोपी दीपू उर्फ दीपक को इस न्यायालय द्वारा आज जमानत आवेदन संख्या 19620/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है।
7. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह फरवरी 2026 से यानी पिछले छह महीनों से अधिक समय से जेल में है।
8. विद्वान एजीए और साथ ही शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया है।
10. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, और जांच के दौरान नामजद सह-आरोपी दीपू उर्फ दीपक के बयान से उसकी संलिप्तता का खुलासा हुआ।
11. आगे के अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो उसे इस अपराध से जोड़ सके।
12. इसके अलावा, सह-आरोपी दीपू उर्फ दीपक को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है।
13. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह फरवरी 2026 से यानी पिछले छह महीनों से अधिक समय से जेल में है।
14. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
15. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
16. आवेदक-**सन्नी** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।